–: ई–मेल :–

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्र संख्याः 03(14)/12–ज्येड॰ए॰सी॰/2023–2024, दिनाँकः 19 फरवरी, 2024

विषय :– मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिनाँकः 28–11–2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 518/2022 विवेक वर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिनाँकः 28–11–2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्याः 03(2)/12–ज्येड॰ए॰सी॰/2023–2024, दिनाँकः 14–12–2023 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) एवम् अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नैनीताल को Action Taken Report इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनाँकः 20–01–2024 को एक बैठक आहूत की गई तथा सम्बन्धित विभागों को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए Action Taken Report उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अपने पत्र संख्याः 365/आर॰ए॰/2024, दिनाँकः 15–02–2024 के द्वारा जिलाधिकारी, नैनीताल से सम्बन्धित बिन्दुओं पर Action Taken Report इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। इसके अतिरिक्त मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकः 28–11–2023 के बिन्दु संख्याः 23 के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, यू॰यू॰एस॰डी॰ए॰, यू॰आई॰आर॰डी॰पी॰, नैनीताल को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के कार्य को यथाशीघ्र करवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में परियोजना प्रबन्धक, यू॰यू॰एस॰डी॰ए॰, यू॰आई॰आर॰डी॰पी॰, नैनीताल के द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के कार्य से सम्बन्धित Action Taken Report इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है।

उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, एवम् क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिनाँकः 28–11–2023 को पारित आदेश के अनुपालन में Action Taken Report मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की जा रही है।

अतएव मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार Action Taken Report संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीया,

(वन्दना),
जिलाधिकारी, नैनीताल।

16 FEB 2024

ADM/0-d/ZAC

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

कार्यालय जिला अधिकारी, नैनीताल
संख्या 1353 दिनांक 16/02/24

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्र संख्या 365/आर०ए०/2024 दिनांक 15 फरवरी, 2024

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 की अनुपालन आख्या के संबंध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आपके कार्यालय के पत्र संख्या 03(2)/12–ज्येड.ए.सी./2023–24 दिनांक 14.12.2023, पत्र संख्या 03(5)/12–ज्येड.ए.सी./2023–24 दिनांक 15.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 165/आर.ए./2023 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023, पत्र संख्या 166/आर.ए./2023 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या 167/आर.ए./2023 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या 256/आर.ए./2024 दिनांक 16 जनवरी, 2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या 255/आर.ए./2024 दिनांक 16 जनवरी, 2024 के द्वारा संबंधित विभागों को पत्रालेख किया गया।

महोदया द्वारा उक्त के संबंध में दिनांक 20.01.2024 को एक बैठक भी आहूत की गयी थी। उपरोक्त बैठक में महोदया द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 के बिन्दु संख्या 25 एवं 26 में उल्लेखित निर्देशों के अनुपालन के संबंध में कार्यवाही हेतु क्रमवार दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत नैनीझील को दूषित करने वाले नदी, नाले, पाईप लाईन, सिविर लाईन, नगर में कूड़ा इत्यादि को निर्धारित/चयनित स्थानों पर न फेकनें वालों के संबंध में जांच किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या 271/आर०ए०/2024 दिनांक 23 जनवरी, 2024 से तहसीलदार नैनीताल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा नामित अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल

द्वारा नामित अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नैनीताल द्वारा नामित अधिकारी की सदस्यता में एक जांच समिति का गठन किया गया जिसमें तहसीलदार नैनीताल को अध्यक्ष नामित करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के बिन्दु संख्या 25 एवं 26 में दिये गये अन्य निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त जांच समिति द्वारा की गयी संयुक्त स्थलीय जांच आख्या तहसीलदार नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 152/दा.खा.मो./2024 दिनांक 14 फरवरी, 2024 (संलग्नक –1) से प्रस्तुत की गयी है। संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 के बिन्दु संख्या 25 एवं 26 की निर्देशवार Action Taken Report निम्नानुसार है :–

क्रमांक	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देश	Action Taken Report
1.	The Amicus Curie has made observations regarding dumping of garbage on the road sides in Nainital. The District Magistrate, Nainital and the Commissioner Municipal Corporation, Nainital are directed to ensure that such garbage dumped on the road sides is removed immediately on regular basis and they are also directed to take requisite steps for setting up of a Control Room and create web-portal on the website of Municipal Corporation, Nainital or District Administration where citizens can make complaints with photos of garbage dumping. Some official may be specially deputed for the purpose of looking into the complaints and informing the concerned officers/officials for taking remedial action. The information regarding action taken on the complaints be conveyed to the concerned complainant and be also uploaded on the website.	संबंधित जांच समिति द्वारा आख्या प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा नैनीताल नगर क्षेत्र का संयुक्त रूप से दिनांक 30.01.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर कूड़े/कचरे आदि के ढेर नहीं पाये गये। सार्वजनिक मार्गों के किनारे एकत्र होने वाले कूड़े का त्वरित/प्रतिदिन निस्तारण किया जा रहा है। परन्तु नाला संख्या 23 (मेट्रोपोल कम्पाउण्ड) में नाले से सटे भवनों में निवासरत कतिपय व्यक्तियों के द्वारा अपने घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल को उक्त नाले में निस्तारित किया जा रहा था , जिस संबंध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड नैनीताल द्वारा 07 व्यक्तियों को चिन्हिंत किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :– 1. श्री मुन्ना पुत्र मन्सूर अहमद । 2. श्री नदीम अख्तर पुत्र श्री जीशान अली । 3. श्रीमती इशरत पत्नी स्व0 श्री मुहम्मद साजिद। 4. श्री आबिद अली पुत्र मुहम्मद अली । 5. श्री अब्दुल खालिद पुत्र पीर बख्श 6. श्री अनूप साह 7. श्री टीका राम बुढलाकोटी। तदोपरान्त् अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नैनीताल के द्वारा उक्त व्यक्तियों को नोटिस प्रेषित किये गये तथा पुनः दिनांक 08.02.2024 को सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद नैनीताल के माध्यम से अद्यतन स्थिति जानने हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा नोटिस प्राप्त करने के

		पश्चात् घरेलू कूड़ा करकट इत्यादि का निस्तारण नाला संख्या 23 अथवा खुले में नहीं किया जा रहा है साथ ही निष्प्रयोज्य जल (सीवर का दूषित जल) के निस्तारण हेतु क्षतिग्रस्त पाईपलाईन को मुख्य सीवर चैम्बर में संयोजित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा सार्वजनिक मार्गों के किनारे एकत्र होने वाले कूड़े का त्वरित/प्रतिदिन निस्तारण एवं उपरोक्त कार्य हेतु एक नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किया गया है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा शिकायत वाहन पिकअप (Complaint Vehicle) तैयार की गयी है जिससे जनता द्वारा कुडे से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का निस्तारण किया जाता है। साथ ही नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित पर सफाई निरीक्षक, को नामित किया गया है। पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/ निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटाग्राफ दर्ज करवाने हेतु नागरिकों की सुविधा हेतु एक टॉल फ्री नम्बर 9149274469 जारी किया गया है। साथ ही इस नम्बर से व्हाट्सएप ग्रुप (शिकायत प्रकोष्ठ) भी बनाया गया है। जिसमें आमजनता कड़े के एकत्रीकरण/ निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है, जिसका निस्तारण शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर कर दिया जाता है, इस कार्य हेतु सफाई निरीक्षक को नामित किया गया है। नगर पालिका द्वारा वेब पोर्टल/शिकायत प्रकोष्ठ (www.nppnainital.in) पर कूड़े से संबंधित दर्ज शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही को वेब पोर्टल पर अपलोड करने इत्यादि कार्य हेतु सफाई निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। तथा संबंधित का मोबाईल नम्बर भी उपरोक्त वेबसाईट में प्रदर्शित किया गया है।
2	The District Magistrate, Nainital and the Commissioner Municipal Corporation, Nainital are also directed to consider installation of CCTV cameras, if not already installed and authorize user of CCTV cameras if already installed at places of unauthorized dumping of garbage and CCTV footage may be utilized for	नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक स्थानों/मार्गों/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने हेतु निकाय अन्तर्गत सर्वे उपरान्त 25 स्थलों का चयन कर लिया गया है तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा क्रय करने की कार्यवाही प्रस्तावित है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

	imposing appropriate environmental damage compensation on persons dumping garbage at such places.	
3	All garbage collection vehicles may be fitted with GPS to monitor door to door collection of solid waste and its transportation to the MRF/ processing centers.	नगर पालिका द्वारा घर–घर से कूड़ा एकत्रीकरण एवं एम०आर०एफ० सेंटर/ट्रंचिग ग्राउण्ड में कूड़े के निस्तारण कार्य में कूड़े के निस्तारण कार्य में प्रयुक्त 18 कूड़ा वाहनों में जी०पी०एस० सिस्टम लगवा लिया गया है।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 के बिन्दु संख्या 25 एवं 26 के संबंध में Action Taken Report मय संलग्नकों के सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार)
उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय तहसीलदार,नैनीताल।

पत्र संख्याः 15 /दा.खा.मो./2024 दिनांक : 14 फरवरी ,2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय आदेश संख्या– 271/आर.ए./2024 दिनांक 23 जनवरी 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत नदी/नाले/पाईप लाईन आदि जिनका पानी झील में जा रहा है में कतिपय व्यक्तियों द्वारा कूडा फेंकने एवं गन्दगी किये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए साफ सफाई का कार्य कराये जाने के संबध में समिति गठित कर समिति में अधोहस्ताक्षरी को अध्यक्ष नामित किया गया हैं । उक्त के अनुपालन में दिनांक 30.01.2024 को मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में अधिकरण द्वारा चाही गयी बिन्दुओं पर संयुक्त निरीक्षण गठित सदस्य के साथ किया गया।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर आवश्य कार्यवाही हेतु संवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजय कुमार)
तहसीलदार,नैनीताल।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश संख्या– 271/आर०ए०/2024 दिनांक 23 जनवरी 2024 के अनुपालन में नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत नदी/नाले/पाईप लाईन आदि जिनका पानी झील में जा रहा है में कतिपय व्यक्तियों द्वारा कूडा फेंकने एवं गन्दगी किये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए साफ सफाई का कार्य कराये जाने के संबध में समिति गठित कर द्वारा दिनांक 30.01.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण निम्नवत् हैः–

- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नाला संख्या 23 में घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रोज्य जल निस्तारण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया है कि नाला संख्या 23 (मेट्रोपोल कम्पाउण्ड) में नाले से सटे भवनों में निवासरत् कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपने घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रोज्य जल को उक्त नाले में निस्तारित किया जा रहा था इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड नैनीताल द्वारा 07 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

  1– श्री मुन्ना पुत्र मन्सूर अहमद,
  2– श्री नदीम अख्तर पुत्र श्री जीशान अली,
  3– श्रीमती इशरत पत्नी स्व० श्री मुहम्मद साजिद,
  4– श्री आबिद अली पुत्र मुहम्मद अली ,
  5– अब्दुल खालिद पुत्र पीर बख्श ,
  6– श्री अनूप साह ,
  7– श्री टीका राम बुढलाकोटी

  उक्त के सम्बन्ध मे प्रस्तुत विस्तृत आख्या पत्र संख्या– 304 दिनांक 01.02.2024 जिसमें उल्लेख किया गया है कि द्वारा नाला संख्या 23 (मेट्रोपोल कम्पाउण्ड) में नाले से सटे भवनों में निवासरत् लोगो द्वारा अपने घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रोज्य जल को उक्त नाले में निस्तारित किया जा रहा है 07 व्यतित जो क्रमशः को चिन्हित किया गया है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद,नैनताल के पत्र संख्या– 2545 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पालिका स्तर से मेट्रोपोल एवं रायल होटल कम्पाउण्ड क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था का सफाई निरीक्षक न०पा०नैनीताल द्वारा दिनांक 08.02.2024 को स्थलीर निरीक्षण किया गया है निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा नोटिस प्राप्त करने के पश्चात घरेलू कूड़ा करकट इत्यादि का निस्तारण नाला नं० 23 अथवा खुले मे नहीं किया जा रहा है साथ ही निष्प्रोज्य जल (सीवर का दूषित पानी) के निस्तारण हेतु क्षतिग्रस्त सीवर पाईप लाईन को मुख्य सीवर चैम्बर में संयोजित करने का कार्य किया जा रहा है फोटोग्राफ संलग्न है **(संलग्न–1)**

- निरीक्षण के दौरान नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर कूड़े/कचरे आदि के ढेर नहीं पाये गये तथा सार्वजनिक मागों के किनारे एकत्र होने वाले कूड़े का त्वरित/प्रतिदिन निस्तारण किया जाना पाया गया । अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद,नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया है कि सार्वजनिक मार्गों के किनारे एकत्र होने वाले कूड़े का त्वरित/प्रतिदिन निस्तारण एवं उपरोक्त कार्य हेतु उपरोक्त कार्य हेतु एक नियंत्रण कक्ष (Controll Room) स्थापित करने हेतु नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा शिकायत वाहन पिकअप (Complaint Vehicle) तैयार की गयी है जिससे जनता द्वारा कुड़े से संबंधित

शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का निस्तारण किया जाता है। साथ ही नियंत्रण कक्ष(Control Room) स्थापित पर सफाई निरीक्षक, को नामित किया गया है। पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटाग्राफ दर्ज करवाने हेतु नागरिकों की सुविधा हेतु एक टॉल फ्री नम्बर 9149274469 जारी किया गया है। साथ ही इस नम्बर से व्हाट्सएप ग्रुप (शिकायत प्रकोष्ठ) भी बनाया गया है। जिसमें आमजनता कड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है, जिसका निस्तारण शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर कर दिया जाता है, इस कार्य हेतु सफाई निरीक्षक को नामित किया गया है। वेब पोर्टल/शिकायत प्रकोष्ठ पर कूड़े से संबंधित दर्ज शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही को वेब पोर्टल पर अपलोड करने इत्यादि कार्य हेतु सफाई निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। सार्वजनिक स्थलों/मार्गों/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है, जिसे शौध पूर्ण कर लिया जायेगा। घर–घर से कूड़ा एकत्रीकरण एवं एम०आर०एफ० सेंटर/ट्रंचिंग ग्राउण्ड में कूड़े के निस्तारण कार्य में कूड़े के निस्तारण कार्य में प्रयुक्त 18 कूड़ा वाहनों में जी०पी०एस० सिस्टम लगवा लिया गया है।

प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड नैनीताल

प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता
जल संस्थान नैनीताल

राजस्व निरीक्षक/उप निरीक्षक,
तहसील नैनीताल

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद नैनीताल।

तहसीलदार,
नैनीताल।

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड नैनीताल।

प्रेषित,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नैनीताल।

पत्रांक :– 304 /सिंखनै/नैनीलेक/ दिनांक 01.02.2024

विषय :– नाला सं0 23 में घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि नाला सं0 23 (मेट्रोपॉल कम्पाउण्ड) में नाले से सटे भवनों में निवासरत लोगों द्वारा अपने घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल को उक्त नाले में निस्तारित किया जा रहा है, जिससे नाले के साफ–सफाई एवं रख–रखाव करने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं उक्त के अतिरिक्त नैनीझील भी प्रदूषित हो रही है। उक्त प्रकरण के दृष्टिगत विभागीय अपर सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर नाले से सटे भवनों में निवासरत लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी सूची निम्नवत है –

1. श्री मुन्ना, पुत्र श्री मन्सूर अहमद।
2. श्री नदीम अख्तर, पुत्र श्री जीशान अली।
3. श्रीमती इशरत, पत्नी स्व0 श्री मुहम्मद साजिद।
4. श्री आबिद अली, पुत्र श्री मुहम्मद अली।
5. श्री अब्दुल खालिद, पुत्र श्री पीर बख्श।
6. श्री अनूप शाह।
7. श्री टीका राम बुढलाकोटी।

अतः उक्त के कम आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे उक्त नाले के साफ–सफाई एवं रख–रखाव के साथ ही नैनीझील को भी प्रदूषित होने से रोका जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नैनीताल।

पत्रांक तथा तिथि यथोपरि।

प्रतिलिपि सहायक अभियंता, पंचम, सिंचाई खण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नैनीताल।

कार्यालय-- नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

E-mail:- nppnainital@gmail.com (दूरभाष - 05942-235183)

पत्रांक :- 2545/XV-18 दिनांक :- 08/02/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

सिंचाई खण्ड, नैनीताल।

विषय:-- नाला सं0 23 में घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 304/सिखनै/नैनीलेक, दिनांक 01.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें नाला सं0 23 (मैट्रोपोल कम्पाउण्ड) में नाले से सटे भवनों में निवासरत लोगो द्वारा अपने घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल को उक्त नाले में निस्तारित किये जाने बावत अवगत कराते हुए कुछ व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए विषयगत प्रकरण पर पालिका स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने बावत उल्लेख किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपने कार्यालय पत्र में उल्लिखित व्यक्तियो को पालिका द्वारा दिनांक 03.02.2024 को अपने आवासीय परिसर के निष्प्रयोज्य जल का निस्तारण सीवर चैम्बर में किये जाने एवं कूड़ा-करकट इत्यादि को पालिका कूड़ेदानों अथवा पालिका कूड़ा वाहन के माध्यम से निस्तारित किये जाने इस कार्यालय के पत्रांक 2483/XII-1MB दिनांक 03.02.2024 के माध्यम से नोटिस जारी किये गये थे (प्रति संलग्न), जिसके क्रम में नोटिस प्राप्तकर्ता विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपना प्रतिउत्तर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत प्रतिउत्तर पत्रों की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि पालिका स्तर से मैट्रोपोल एवं रॉयल होटल कम्पाउण्ड क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था का सफाई निरीक्षक, न0पा0प0 नैनीताल द्वारा दिनांक 08.02.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा नोटिस प्राप्त करने के पश्चात घरेलू कूड़ा करकट इत्यादि का निस्तारण नाला नं0 23 अथवा खुले में नही किया जा रहा है साथ ही निष्प्रयोज्य जल (सीवर का दूषित जल) के निस्तारण हेतु क्षतिग्रस्त सीवर पाईप लाईन को मुख्य सीवर चैम्बर में संयोजित करने का कार्य किया जा रहा है (फोटोग्राफ्स संलग्न)।

अतः नाला स0 23 मे घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल निस्तारण बावत प्रेषित पत्र के क्रम में पालिका स्तर से की गयी कार्यवाही सम्बन्धी सूचना सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः-- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राहुल आनंद, I.A.S.)
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद नैनीताल।

प्रतिलिपि,

तहसीलदार, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राहुल आनंद, I.A.S.)
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद नैनीताल।

Scanned with OKEN Scanner

0fe5cdb4-a5f4-4043-86e9-f888eead4bd1_

कार्यालय नगरपालिका परिषद, नैनीताल।

पत्रांक : 2483/XII-1MB

दिनांक : 3.02.2024

नोटिस

1.श्री पुन्ना पुत्र श्री मंसूर अहमद
2.श्री नदीम अख्तर पुत्र श्री जीशान अली
3.श्रीमती दशरत पत्नी स्व0 श्री मुहम्मद साजिद
4.श्री आबिद अली पुत्र श्री मुहम्मद अली
5.श्री अब्दुल खालिद पुत्र श्री पीर बख्श
6.श्री अनूप शाह
7.श्री टीका राम बुढलाकोटी।

समस्त निवासीगण मैट्रोपोल कम्पाउण्ड, समीप नाला नं0 23, मल्लीताल नैनीताल।

विषय: आवासीय परिसर का कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल के नाला नं0 23 मे निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 304/सिखने/नैनीलेक, दिनांक 01.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि नाला नं0 23 (मैट्रोपोल कम्पाउन्ड) मे नाले से सटे भवनो मे निवासरत व्यक्तियो द्वारा अपना घरेलू कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल को उक्त नाले मे निस्तारित किया जा रहा है जिससे नाले के साफ-सफाई एवं रखरखाव करने मे अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं उक्त के अतिरिक्त नैनीझील भी प्रदूषित हो रही है एवं आप सम्बन्धितो के नामो का उल्लेख करते हुए प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम मे सफाई निरीक्षक, नगरपालिका परिषद नैनीताल द्वारा मैट्रोपोल कम्पाउण्ड क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सफाई निरीक्षक द्वारा प्रेषित स्थलीय निरीक्षण आख्या द्वारा आपके आवासीय परिसर के समीप स्थित नाला नं0 23 मे घरेलू कूड़ा निस्तारण किया जाना पाया गया, साथ ही कुछ आवासीय परिसरो का निष्प्रयोज्य जल भी नाला नं0 23 मे निस्तारित किया जा रहा है जिस कारण क्षेत्र मे गंदगी का माहौल बना हुआ है तथा दूषित जल के नाले मे निस्तारण के कारण नैनी झील भी प्रदूषित हो रही है।

अतः उपरोक्त नोटिस के माध्यम से आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने आवासीय परिसर के कूड़ा करकट इत्यादि गन्दगी का निस्तारण कूड़ादान अथवा पालिका कूड़ा वाहन के माध्यम से करे तथा आवासीय परिसर के निष्प्रयोज्य जल का निस्तारण सीवर चैम्बर मे किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा पुनः अपने आवासीय परिसर का कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल को उक्त नाले मे निस्तारित किया जाता है तो आपके विरूद्ध पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

सूचित होवे।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, नैनीताल।

प्रतिलिपि,

1. प्रशासक महोदय, नगरपालिका परिषद नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल को उनके पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सफाई निरीक्षक, नगरपालिका परिषद नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उल्लिखित वार्ड क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करवाना सुनिश्चित करे।
4. क्षेत्रीय स0स0ए0, सूखाताल वार्ड को इस निर्देश के साथ कि वार्डक्षेत्र मे समुचित सफाई व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करे, सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, नैनीताल।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका नैनीताल

महोदय निवेदन इस प्रकार है कि 2483/XII-1 के तहत आपने शिकायत का पानी पाइप हटाने के कूड़ा नाले में डालने हेतु कहा। महोदय हमने पाइप हटा दिया है और कूड़ा हमारे यहां से नगर पालिका वाले ले जाते हैं।

धन्यवाद

आबिद अली सिद्दिकी
रॉयल होटल कम्पाउंड
मल्लीताल नैनीताल

8.02.24

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद नैनीताल,

महोदय,
निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या-2483/XII-1MB एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आवासीय परिसर का कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य जल के नाला नं० 23 में निस्तारण के सन्दर्भ विषयक है।

महोदय उक्त निस्तारण के सन्दर्भ में मुझे कहना है कि मेरे आवासीय परिसर में प्रत्येक कमरे में तथा किचन, टायलेट एवं छत में डस्टबिन रखे गये हैं जिसे समय-समय पर सफाई कर्मचारी द्वारा पालिका के बड़े डस्टबीनों में डाला जाता है और ~~छत~~ छत पूर्ण रूप से जाली द्वारा बन्द की गई है, केवल छत की बरसाती पानी का पाईप ही नाले में जाता है। जिसका निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकता है,

धन्यवाद

दि०-6-02-2024

प्रार्थी
[signature]
अनूप सिंह शाही

[illegible] नगर पालिका परिषद
[illegible] 2637

यू.सं. आई.

सेवा में,
श्रीमान अधिशासी अधिकारी महोदय
नैनीताल

विषय- आपके पत्रांक 2483/XII-1MB दि. 03-02-2024 के सम्बन्ध में
दि. 7-02-2024

महोदय,

कृपया आपके उपर्युक्त पत्रांक के सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि

1- मेरे द्वारा अपने मकान के कूड़ा एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण के लिए ~~एक~~ सफाई कर्मचारी रखा है जो घर से उक्त कूड़ा सामग्री ले जाता है और किसी प्रकार की सामग्री नाले में नहीं डाली जाती है।

2. निष्प्रयोज्य जल भी नाले में नहीं जाता है इसका समाधान सोख्ते से किया गया है, जिसका स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है।

3. नगरपालिका द्वारा पूर्व में कार्यरत सफाई कर्मचारी ही आज भी घर से उक्त कूड़ा ~~एवं~~ निष्प्रयोज्य सामग्री उठा ले जाते हैं जिसके लिए हम उन्हें भुगतान करते हैं।

भवदीय
[signature]
([illegible])
मोहन निवास (रीवर होटल)
मल्लीताल नैनीताल
फोन - 94111 98688

नगर पालिका
पत्रांक
2663
7-02-24

सफाई निरी.

[signature]
EO
8.2.24

कार्यालय– नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

E-mail:- nppnainital@gmail.com (दूरभाष – 05942–235153)

पत्रांक :- 2616/XV-2(a) दिनांक :- 16-02-24

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
नैनीताल।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा मूल आदेवन संख्या– 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा मूल आदेवन संख्या– 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 की अनुपालन आख्या/Action taken Repot उपलब्ध कराये जाने हेतू निर्देशित किया गया है। जिस कम में नगर निकाय, नैनीताल से संबंधित सूचना बिन्दुवार निम्नवत् है–

कमांक	अपेक्षित कार्यवाही हेतू बिन्दु	अनुपालन आख्या
01	20."It may be observed here that in the present case illegal felling of trees near aroma hotel was carried out in nazul land which is stated to vest in Municipal Corporation, Nainital and Municipal Corporation, Nainital was required to make complaint regarding the same but Municipal Corporation, Nainital has not lodged complaint regarding the same. The Commissioner, Municipal Corporation, Nainital is directed to lodge FIRs regarding illegal cutting of trees in land belonging to it within two months and to file an action taken report in this regard within two months through E-filing portals (not through E-mail) in the form of searchable PDF/OCR support PDF (not in the form of image PDF).	यह कि नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा कार्यालय पत्र सं0 2237/XII-1MB दिनांक 18.01.2024 द्वारा कोतवाली मल्लीताल में अरोमा होटल के निकट काटे गये वृक्षों का पातन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकि दर्ज करवा दी गयी है।(संलग्न)
02	सार्वजनिक मार्गो के किनारे एकत्र होने वाले कूड़े का त्वरित/प्रतिदिन निस्तारण एवं उपरोक्त कार्य हेतु एक नियंत्रण कक्ष(Controll Room)स्थापित किया जाना।	यह कि सार्वजनिक मार्गो के किनारे एकत्र होने वाले कूड़े का त्वरित/प्रतिदिन निस्तारण एवं उपरोक्त कार्य हेतु एक नियंत्रण कक्ष(Controll Room)स्थापित करने हेतु नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा शिकायत वाहन पिकअप (Complaint Vehicle) तैयार की गयी है जिससे जनता द्वारा कूड़े से संबंधित शिकायत पाप्त होने पर समस्या का निस्तारण किया जाता है। साथ ही नियंत्रण कक्ष(Controll Room)स्थापित पर सफाई निरीक्षक को नामित किया गया है।
03	पालिका प्रशासन अथवा जिला प्रशासन की	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन

	वेबसाईट पर एक वैब पोर्टल तैयार किया जाना, ताकि उक्त पोर्टल पर नगारिकों द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवाया जा सके।	में मा0 उच्च न्यायालय की ई-मेल आईडी **solidwaste-complaint@uk.gov.in** पर प्राप्त शिकायतों का निस्ताण पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। साथ ही कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण हेतू पालिका की वैब साईट www.nppnainital.in में भी शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। इस हेतू पोर्टल पर एक **टॉल फ्री नम्बर 9149274469 भी दर्शाया** गया है। जिसमें जनमानस द्वारा सफाई व्यवस्था के संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। जिसमें आमजनता कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है, जिसका निस्तारण शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर कर दिया जाता है, इस कार्य हेतु सफाई निरीक्षक को नामित किया गया है।
04	वेब पोर्टल पर कूड़े से संबंधित दर्ज शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही को वेब पोर्टल पर अपलोड करने इत्यादि कार्य हेतु कर्मचरियों को अधिकृत किया जाना।	वेब पोर्टल/शिकायत प्रकोष्ठ पर कूड़े से संबंधित दर्ज शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही को वेब पोर्टल पर अपलोड करने इत्यादि कार्य हेतु सफाई निरीक्षक को अधिकृत किया गया है।
05	सार्वजनिक मार्गो के किनारे /अनाधिकृत कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, ताकि सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फुटेज के माध्यम से सार्वजनिक मार्गो/अनधिकृत स्थलों पर कड़ा फैंकने/एकत्र करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय क्षति के रुप में मुआवजा वसूल किया जा सके।	सार्वजनिक स्थलों/मार्गो/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतू सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने हेतू निकाय अन्तर्गत सर्वे उपरान्त 25 स्थलो का चयन कर लिया गया है तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा क्रय करने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर चयनित स्थलों पर कैमेरे स्थापित कर दिये जाऐंगे।
06	घर-घर से कूड़ा एकत्रीकरण एवं एम0आर0एफ0 सेंटर/ट्रंचिग ग्राउण्ड में कूड़े के निस्तारण कार्य में प्रयुक्त कूड़ा वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगाया जाना अपेक्षित है, तो कि कूड़ा एकत्रीकरण/निस्तारण कार्य में प्रयुक्त वाहनों के आवागमन की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके।	घर-घर से कूड़ा एकत्रीकरण एवं एम0आर0एफ0 सेंटर/ट्रंचिग ग्राउण्ड में कूड़े के निस्तारण कार्य में प्रयुक्त 18 कूड़ा वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवा लिया गया है।

अतः उपरोक्त के कम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, नैनीताल।

प्रतिलिपि :- निम्न की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1- जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल।
2- प्रशासक/प्रभारी अधिकारी महोदय, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, नैनीताल।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल

(दूरभाष – 05942–235153)

E-mail:- nppnainital@gmail.com

पत्रांक – 2658/XV-2(a) दिनांक – 19-02-24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय :– मा० राष्ट्रीय अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा मूल आदेवन संख्या– 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 03(13) 12–ज्येंड.ए.सी./2023–2024 दिनाक 19 फरवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा मूल आदेवन संख्या– 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 की बिन्दु सं0–24 एवं 25 में अनुपालन आख्या/Action taken Repot उपलब्ध कराये जाने हेतू निर्देशित किया गया है। जिस कम में नगर निकाय, नैनीताल से संबंधित सूचना बिन्दुवार निम्नवत् है–

कमांक	अपेक्षित कार्यवाही हेतू बिन्दु	अनुपालन आख्या
01	In respect of Solid Waste Management UKPCB has mentioned in its report that the total population of Nagar Palika Parishad Nainital is 41377 (as per the 2011 cencus) and is divided into 15 wards. about 16 MT/day solid waste is genrated from the town, out of which about 7.3 MT/day is biodegradable waste, and 8.7 MT/day in non-biodegradable waste. Door to Door collection of segregated waste is carried out as biodegradable and non-biodegradable waste. Compost pits have been made for the dipopsal of biodegradable waste. However, excess is being sent to the waste processiong facility of Nagar Nigam Haldwani. Material Recovery Facility (MRF) is provided for the segregation of recyclable waste. About 4.8 MT of recyclable waste have been sent for recycling in this year. No legacy waste dump site is located in the town. Ban on single use Plastic (SUP) items is being effectively implemented in the town.	पालिका द्वारा अनुबंधित संस्था "निवारण सेवा समिति" के माध्यम से पालिका सीमान्तर्गत समस्त 15 वार्डो में प्रतिदिन डोर टू डोर जैविक एवं अजैविक कूड़े का पृथक्कीकरण करते हुए एकत्रित किया जाता है तथा पृथक्कीकरण हेतु जागरुकता के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वार्ड स्वच्छता एम्बेसडर के प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त किया गया है तथा नगर पालिका सीमान्तर्गत 15 वार्डो में समय–समय पर विशेष सफाई संचालित करते हुए शहर में स्थित झील, नाला, सड़के व मैदान इत्यादि की सफाई की जाती है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तल्लीताल हल्द्वानी रोड स्थित कूड़ा निस्तारण स्थल को कूड़ा निपटान हेतु उपयोग में नहीं लाया जा रहा है नगरपालिका परिषद नैनीताल हल्द्वानी में सम्मिलित है, जिस कारण नगर पालिका परिषद नैनीताल का Legacy Waste तथा अन्य उत्पादित/एकत्रित कूड़े को पालिका कूड़ा वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन हल्द्वानी, गौलपार स्थित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में निस्तारण हेतु भेजा जाता है।
02	In his report, the Amicus Curies has made observatios regarding dumping of garbage on the road side in Nainital. The District Megistrate, Nainital and the Commissioner Municipal Corporation, Nainital are directed ti ensure that such garbage dunped on the road side is removed immediatly on regular basis and thy are also directed to take requisite steps for setting up of a control Room abd create web-portal on the	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय की ई–मेल आईडी **solidwaste-complaint@uk.gov.in** पर प्राप्त शिकायतों का निस्ताण पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। साथ ही कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण एवं सफइाई व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण हेतू पालिका की वैब साईट www.nppnainital.in में भी शिकायत पोर्टल

377

		web site of municipal corporation, Nainital of District Administration where citizen can make complaintswith photo of garbage dumping. Some official may be specially deputed for the purpose of looking into the complaints and informing the concerned officer/official for taking remedial action. The information regarding action taken on tje complaints be conwayed to the concerned complaint and be also uploaded on the website. The District Megistrate and the Commissioner Municipal Corporation, Nainital are also directed consider installation of CCTV camersa.	तैयार किया गया है। इस हेतू पोर्टल पर एक **टॉल फ्री नम्बर 9149274469 भी दर्शाया** गया है। जिसमें जनमानस द्वारा सफाई व्यवस्था के संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। जिसमें आमजनता कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है, जिसका निस्तारण शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर कर दिया जाता है, इस कार्य हेतु सफाई निरीक्षक को नामित किया गया है। सार्वजनिक स्थलों/मार्गों/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतू सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने हेतू निकाय अन्तर्गत सर्वे उपरान्त 25 स्थलो का चयन कर लिया गया है तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा क्रय कर माल रोड कैनेडी पार्क, मल्लीताल स्टेट बैंक के समीप एवं ठंडी सड़क आदि स्थलों पर स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

भवदीया,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नैनीताल।

Office of the Project Manager
Project Implementation Unit
Uttarakhand Urban Sector Development Investment Program
Government of Uttarakhand
Neel Kanth Guest House, Pilgrim Lodge Compound, Mallital Nainital
Telephone No. 05942-236599, Email – piuntl.uusdip@gmail.com

उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांक १२२ / कार्य सामान्य / १२ दिनांक १९.०२.२०२४

सेवा में,

जिलाधिकारी
नैनीताल

विषय :– **मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 26.11.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्याः 23 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या उपलबध कराने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– **आपका पत्रांक – 03(14)/12–ज्येड.ए.सी./2023–2024 दिनांक 19.02.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दु सं0 23 के सम्बन्ध में Action Taken Report ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(नीरज उपाध्याय)
परियोजना प्रबन्धक

बाह्य सहायतित ए.डी.बी. वित्तपोषित नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना

जनपद का नामः– नैनीताल माहः– फरवरी 2024

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

क्र.स.	विभाग का नाम	सैक्टर का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्य की लागत	प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/अनारम्भ	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	अभ्युक्ति (अनारम्भ/अपूर्ण का कारण)
1	शहरी विकास विभाग/ कार्यालय परियाजना प्रबन्धक पी. आई.यू., यू.यू. एस.डी.ए. नैनीताल	(यू.यू.एस.डी. ए) बाह्य सहायतित ए.डी.बी.	2020.21	9615.00 (8772+843 (O&M)	मई 2025	प्रगति पर	53% (ट्रंक सीवर लाईन का कार्य –66.0% एस.टी.पी. –25.0%)	वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 87 पर 11.9 किमी के सापेक्ष 7.9 किमी सीवर पाईप लाईन बिछाने के उपरांत रोड रेस्टोरेशन का कार्य कर लिया गया है व रोड साइड ड्रेन का निर्माण कार्य गतिमान है। 1. सीआईपीपी द्वारा अपर मॉल रोड में 1.7 किमी सीवर लाइन का पुनर्वास पूर्ण कर लिया गया है। 2. रूसी बाईपास से ट्रिकलिंग गेट तक 3325.0/4400.0 मीटर डीआई– 450 मिमी व्यास की ट्रंक सीवर लाइन बिछाई गई। 3. एनएच–109 पर रूसी बाईपास (किमी–115.000) से ट्रिकलिंग (किमी–120.400) तक 3. 3 किमी रोड रेस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है । 4. सड़क किनारे जल निकासी हेतु नाली का कार्य प्रगति पर है ,3325 मीटर में से 1600 मीटर का कार्य पूरा हो चुका है। 5. डीआई– 450 मिमी व्यास की ट्रंक सीवर लाइन रूसी बाईपास से एसटीपी 1500. 0/2100.0 मीटर तक बिछाई गई। 6. ठंडी सड़क में 1435.0/1900.0 मीटर के से डीआई– 250 मिमी व्यास सीवर लाइन बिछाई गई। ***मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–518/2022 में पारित आदेश दिनांक 20–11–2023 के बिन्दु सं0–23*** *के क्रम में सूचनीय है कि योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित 17.5 एमएलडी क्षमता के एस0टी0पी0 निर्माण के 25.0% कार्य तक पूर्ण हो चुके थे। अगस्त माह 2023 में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण एस.टी.पी. कार्यस्थल पर अप्रत्याशित भूस्खलन के कारण कार्य पूर्ण रूप से बाधित हुआ है, एस.टी.पी. निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि चयन का प्रस्ताव शासन में भेजा जा चुका है, शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।*

परियोजना प्रबन्धक

एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA)

उत्तराखण्ड इंटीग्रेटेड एण्ड रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना (UIRUDP)

Name of Project: Development of Sewerage involving STP Trunk Sewer & Allied work including 5 Years Operation and Maintenance at Nainital in Uttarakhand

Name of Contractor: Tirupati Cement Products

Estimated Cost: 96.15 Cr.

Date of Start: 8th Nov-2021

Date of Completion: 7th May-2025

Details of Work

STP Capacity	17.5MLD
Trunk Sewer Line	11.9 Km

UUSDA उत्तराखण्ड सरकार ADB ATHENA INFONOMICS TCP

ADB LOAN No. 4148-IND

WW-NTL-01

Layout of 17.5 MLD S.T.P. at Russi Village-Nainital

Sewerage System – Nainital (To be developed)

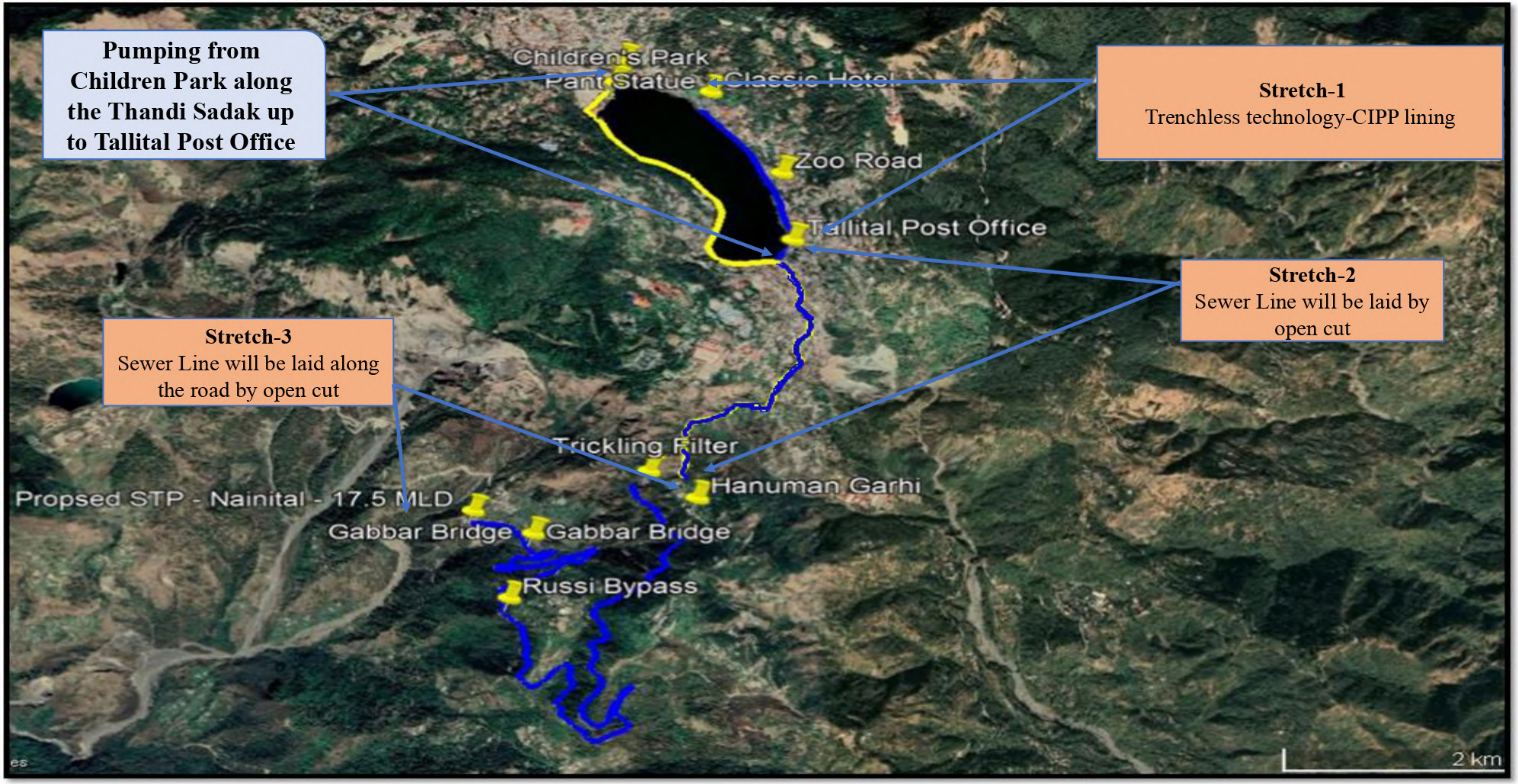

कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं छायाचित्र

STATUS OF WORKS FOR PACKAGE No.WWNTL-01

Name of Work	Development of Sewerage involving STP Trunk Sewer and Allied work including 5 Year Operation and Maintenance at Nainital in Uttarakhand
Executing Agency	M/s Tirupati Cement Products, Janakpuri, New Delhi
Contract Value	INR – 96.15 Cr
Date of Start	1st Oct 2021 Revised 8th Nov 2021
Time Period	42 months
Date of Completion	7th May-2025
Up to Date Physical Progress	53.0%
Up to Date Financial Progress	45.43%

Rehabilitation of Existing Sewer Line From Pant Statue to Tallital Post Office (Strech-1) 1700 Mtr Length

Type of Pipe	CIPP (Cured in Place Pipe)
Methodology	Trenchless
Dia of Line	Dia- 600 MM, 700 MM & 800 MM
Stretch :-	From Pant Statue to Tallital Post Office (Length-1700 mtr.)
Stretch Completed till date	1. *Lining work completed. (DoS: 22-12-2022; DoC: 07-05-2023)* 2. *Restoration of Manholes completed.(DoC: 20-05-2023)* 3. *Road Restoration has been completed.*

CIPP Lining work Mall Road Nainital

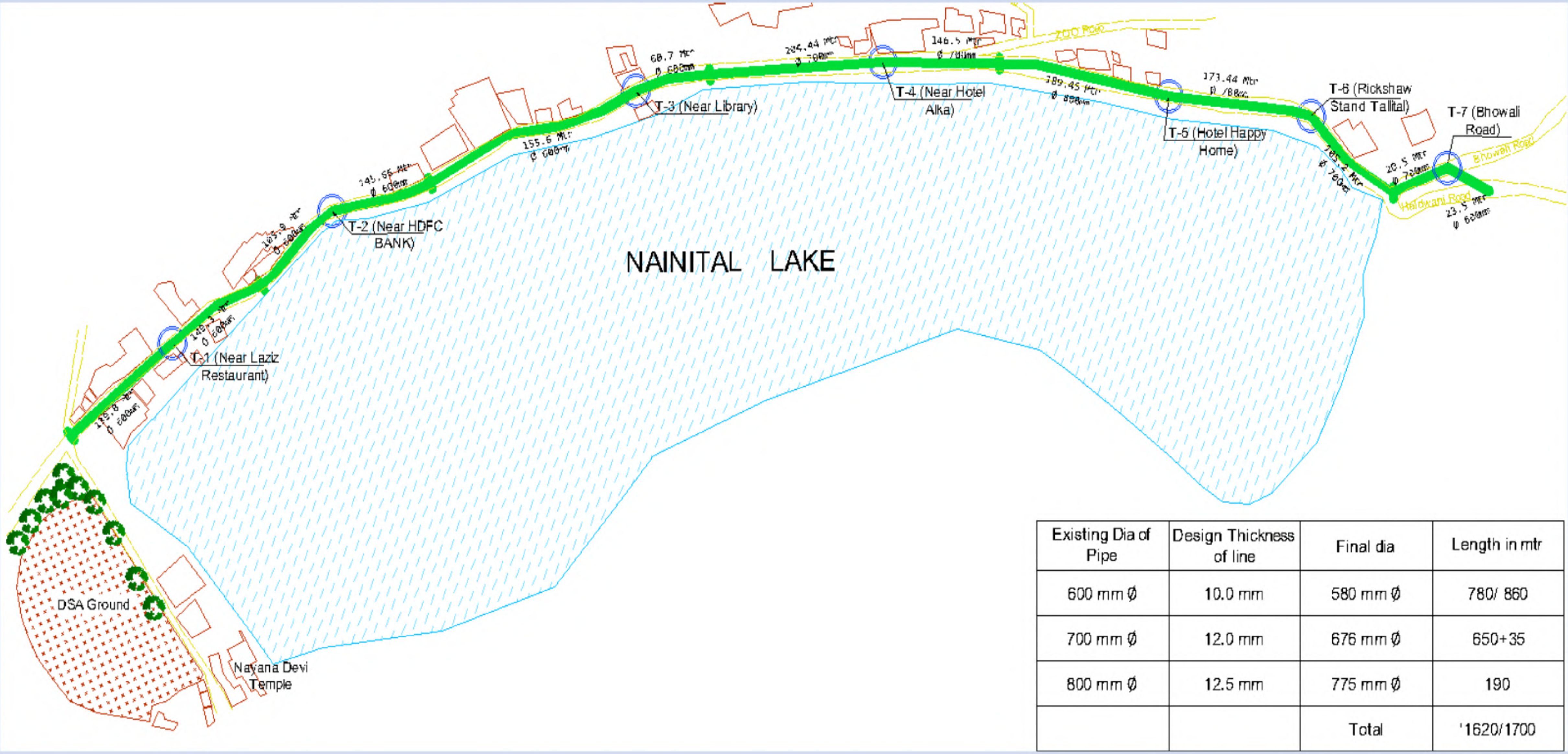

Existing Dia of Pipe	Design Thickness of line	Final dia	Length in mtr
600 mm Ø	10.0 mm	580 mm Ø	780/ 860
700 mm Ø	12.0 mm	676 mm Ø	650+35
800 mm Ø	12.5 mm	775 mm Ø	190
		Total	'1620/1700

Proposed Trunk Line from Children Park to Tallital Post office (Via Thandi Sadak)

Length of Line	1900 Mtr
Type of Pipe	Dia- 250 mm K-9
Methodology	Open Trench Excavation
Status	(1435.00 mtr. DI Pipe Laying completed) Restoration work is in Progress.

Nainital Sewerage Scheme

440

Sewerage Pipe Line Stretch-2 Pant Statue-Children Park SPS-Tallital Post Office (Length: 1900 Mtr & Dia 250 mm)

PIU-UUSDA, Nainital

Proposed Trunk Line from Trickling Filter to Russi Bypass	
Length of Line	4400.0 Mtr
Type of Pipe	Dia- 450 mm DI- K9
Methodology	Open Trench Excavation
Status	(3325.0 mtr. Laying completed) Work is in Progress

Road restoration work at NH-87

Road Restoration at NH-87 after laying of Sewer Line

Road Restoration work at NH-87 after Laying of Sewer Line

Road Restoration work at NH-87

Road Side Drain work at NH-87

Trunk Sewer Line at NH-87 (New-109) & From Russi Bypass to STP

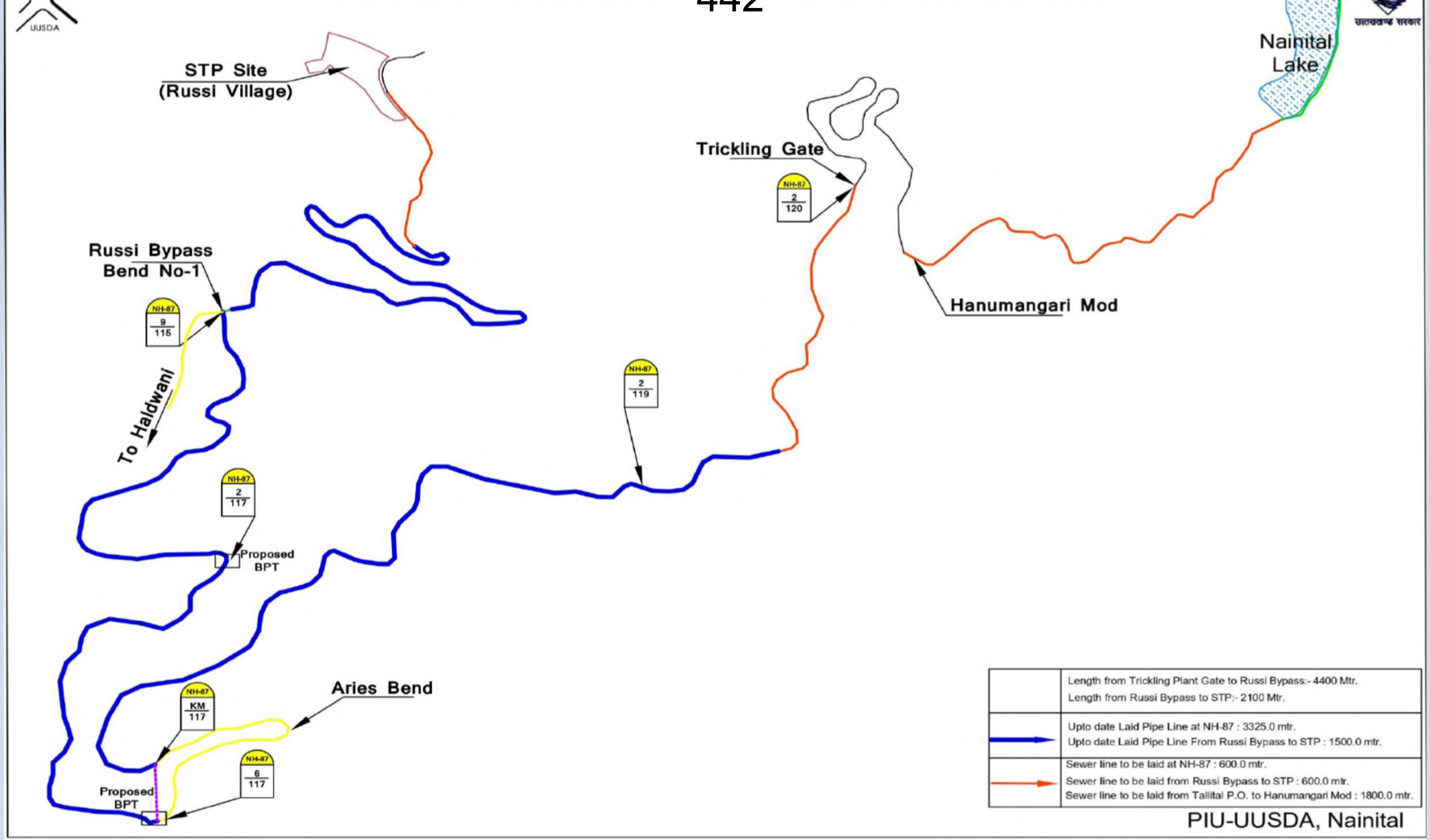

	Length from Trickling Plant Gate to Russi Bypass:- 4400 Mtr. Length from Russi Bypass to STP:- 2100 Mtr.
(blue line)	Upto date Laid Pipe Line at NH-87 : 3325.0 mtr. Upto date Laid Pipe Line From Russi Bypass to STP : 1500.0 mtr.
(orange line)	Sewer line to be laid at NH-87 : 600.0 mtr. Sewer line to be laid from Russi Bypass to STP : 600.0 mtr. Sewer line to be laid from Tallital P.O. to Hanumangari Mod : 1800.0 mtr.

PIU-UUSDA, Nainital

17.5 MLD Sewerage Treatment Plant Work at Russi Village- Nainital

Lower SBR Basin work

Staff Quarter at STP Site

Retaining wall near Lower SBR

Retaining wall near PWD Road Side

Culvert Repairing work at Russi Bypass

Near Hotel Red Roof

Curing for culvert Slab Near Hotel Red Roof

Near Sulabh Complex

Near Sulabh Complex

LANDSLIDE OCCURRED DUE TO HEAVY RAINFALL ON 9TH AUG 2023

LANDSLIDE AND PROTECTION WORK AT SITE RUSSI VILLAGE

Landslide in front of Staff Quarter

landslide Protection work at STP Site in front of Staff Quarter

Lower SBR Basin work

Culvert Repairing work in front of Red Roof Hotel near Staff Quarter

 # Proposal for treatment of Slope Stabilization and Landslide Protection has been submitted to UDRP & ULMMC.

S. No.	Proposed Works	Up to Date Achievement
1.	**STP at Russi Village**	• Concreting work of Lower SBR Basin's Wall completed up to 70%. • Staff quarter work has completed up to 90%. • Retaining wall near Lower SBR basin completed. • Retaining wall near PWD road, work has been completed. • PCC of Upper SBR Basin has been completed. ***(STP work stopped since 9th Aug, 2023 due to landslide)***
2.	**A)**- 1.7 KM Sewer Line Rehabilitation by CIPP from Pant Statue to Tallital Post Office. **B)**- 1.8 KM Trunk Line from Tallital PO to Hanumangari. **C)**- 4.4 KM From Trickling Filter to Russi Bypass. **D)**- 2.1 KM From Russi Bypass to STP. **E)**- 1.9 KM From Children's Park to Tallital PO via Thandi Sadak. **Total Length -- 11.900 Km.** **Work done -- 7.900 Km.**	**A)**- 1.7 Km sewer line rehabilitated by CIPP Technology completed in all respect. **B)**- ***Conditional assessment for existing Sewer line and utilities is in progress.*** **C)**- (i) Trunk Sewer Line of DI-450mm dia Trickling Gate to Russi Bypass 3325.0/4400.0 Mtr Laid. (ii) Road restoration at NH-109 from Russi Bypass (KM-115.000) to Trickling (KM-120.400) 3.3 Km completed. (iii) ***Road Side Drainage work is in progress 1600 Mtr completed out of 3325 Mtr.*** **D)**- Trunk Sewer line DI-450mm dia Russi Bypass to STP 1500.0/2100.0 mtr laid. **E)**- Laying of DI-250mm Dia Sewer line via Thandi Sadak 1435.0/1900.0 mtr laid.
3.	**5 Years O&M after completion of Project** **(Estimated Cost: 8.43 Cr)**	

धन्यवाद!